

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2018/

दिनांक:

श्रीमान जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :- ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु एफआरए प्रमाण पत्र हेतु जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवास नहीं करने का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्रांक कअ/राजरव/2018/9134-37 दिनांक 10.08.18

महोदय,

उपरोक्त विषय तथा प्रासंगिक पत्र के क्रम में ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया था, इस हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जा कर एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। अतः जिला स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण मय एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2017/2432-33

दिनांक: 14/9/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप वन संरक्षक, अजमेर।
2. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
3. तहसीलदार, अजमेर।
4. अधिशाषी अभियंता, सावर्जनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर।
5. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
6. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
7. श्रीमती डॉ० अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।



कार्यालय जिला परिषद अजमेर
दिनांक 19/9/18 दिनांक 20/9/18
साक्षर TH

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

बैठक उपस्थिति दिनांक 07.09.2018

परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत बैठक में निम्नलिखित सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

क्र.स.	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1	सुश्री आरती डोगरा	जिला कलक्टर अजमेर	
2	श्री अजय चित्तोजा	उप वन संरक्षक, अजमेर	
3	श्री अरुण गर्ग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर	
5	श्रीमती अन्जली राजोरिया	उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	
6		तहसीलदार, अजमेर	
7-	श्री साहसिन्द्र	अधि. अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर	
8	श्री शिवराज भील	जिला परिषद, सदस्य	
9	श्रीमती सरोज देवी	जिला परिषद, सदस्य	सरोज मैथवाल
10.	श्रीमती सरोज देवी	तहसीलदार अजमेर	

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक : जिपअ/वन अधिकार/2018/2430

दिनांक: 14/9/18

बैठक कार्यवाही विवरण

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 का कार्यवाही विवरण :-

जिला स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.09.2018 को सभागार जिला कलेक्ट्रेट, अजमेर में जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्राप्त निम्न प्रस्ताव पर चर्चा की गई :-


प्रस्ताव संख्या एक :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

समिति द्वारा उक्त प्रकरण मे विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि अजमेर जिले में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर द्वारा ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीसी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु चाहा गया F.R.A. CERTIFICATE जारी करने की सहमति प्रदान की जाती है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अजमेर



उप वन संरक्षक
अजमेर


जिला कलक्टर
अजमेर


तहसीलदार
अजमेर


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर


अधि. अभियंता,
सार्व. निर्माण विभाग, जि. ख. अजमेर

सदस्यगण :- 

सरोज मेघवाय

Form- 1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector Ajmer

No. 2429

Dated 14/9/18

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition Of Forest Rights) Act, 2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th feb.2013, wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.6050 **Hectare** of forest land in Gram and Gram panchayat Hathikhera forest division Ajmer proposed to be diverted in favour of Exen. P,W,D, District Div.Ajmer for Construction of Gram Boraj to Chamunda C C Road falls within jurisdiction of Hathikhera villages in Ajmer Tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 0.6050 **Hectare** of forest area proposed for diversion. There are no such Forest Dwellers Scheduled Tribes persons residing in the proposed area with rights Scheduled Tribe and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha (s), Sub-division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to 20 annexure**.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. Not Applicable
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl;As above


(Arti Dogra)
District Collector
Ajmer

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/18/ 3920

दिनांक : 31/8/18

निमित्त :- श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद अजमेर

विषय :- एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के
क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.6050 हैक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी करने जिसके संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति के संबंध में उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक दिनांक 31.08.2018 को आयोजित की गई। अतः इस पत्र के संलग्न वांछित बैठक कार्यवाही विवरण की छाया प्रति मय प्रमाण पत्र के श्रीमान को सादर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

क्रमांक : उखअ/राजस्व/18/ 3921

दिनांक : 31/8/18

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला कलक्टर (राजस्व) अजमेर को उपरोक्तानुसार बैठक कार्यवाही विवरण मय प्रमाण पत्र प्रति के सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमाण-पत्र

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के क्रम में दिनांक 31.08.2018 को आयोजित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार संबंधी बैठक की अनुशंषा, ग्राम पंचायत हाथीखेडा की ग्राम पंचायत बैठक दिनांक 20.08.2018 की अनुशंषा एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 28.08.2018 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बोराज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.6050 हैक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में प्रस्तावित निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अंतर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/प्रभावित नहीं होता है। अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 31.08.2017 को उपखण्ड अधिकारी अजमेर के कक्ष में मध्याह्न 4.30 बजे श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर पत्र क्रमांक जिपअ/वन अधिकार/2018/2349 दिनांक 21.08.2018 के क्रम में ग्राम बोरज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु अजमेर थोकमालियान द्वितीय खसरा नम्बर 6263 में से 0.6050 हेक्टे0 हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट चाहा गया है।

अतः प्रस्तावित वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति हेतु एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विति हेतु उपखण्ड अधिकारी अजमेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित हुए :-

क्रम संख्या	नाम अधिकारीगण/सदस्य	हस्ताक्षर
1	श्रीमति अन्जली राजोरिया उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	
2	तहसीलदार अजमेर	
4	विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीनगर नसरत चान	
5	क्षेत्रीय वन अधिकारी अजमेर	
6	श्री राजकुमार सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
7	श्री शंकर सिंह रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
8	सीमा रावत सदस्य पंचायत समिति श्रीनगर	
9	अधिशाषी अभियंता सा0नि0वि जिला खण्ड अजमेर	
10	श्रीमति अन्जली राजोरिया उपखण्ड अधिकारी, अजमेर	

आज इस बैठक में सर्वसम्मति से ग्राम बोरज से चामुण्डा तक वन क्षेत्र में सीसी सडक निर्माण हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में निर्माण के संबंध में एफ.आर.ए. सार्टिफिकेट जारी किये जाने के संबंध में कोई दावा /आपत्ति पेश नहीं हुए है और तहसील क्षेत्र अजमेर में अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य परम्परागत वन निवासी क्षेत्र नहीं होने से उक्त कार्य बाबत बैठक कार्यवाही विवरण एवं वांछित प्रमाण पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

कार्यालय जिला परिषद, अजमेर

क्रमांक/जिपअ/वन अधिकार/2018/

दिनांक

बैठक सूचना

श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर के पत्रांक 9134-37 दिनांक 10.08.2018 के तहत परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड अजमेर द्वारा ग्राम बोराज से चामुण्डा तक सीरी सडक निर्माण हेतु 0.6050 है. भूमि वन भूमि प्रत्यारोपण करने हेतु F.R.A. CERTIFICATE चाहा गया है।

वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत F.R.A. CERTIFICATE जारी करने हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07-09-2018 को 4.00 बजे श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आमन्त्रित की जा रही है। सदस्यों से निवेदन है कि कृपया बैठक में पधारने का श्रम करावें।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर।

दिनांक :- 5/9/18

क्रमांक :- जिपअ/वन अधिकार/2018/ 2364-72

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर।
3. निजी सहायक मुख्य/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर।
4. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर।
5. तहसीलदार, अजमेर।
6. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर।
7. श्री शिवराज भील, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
8. श्रीमती सरोज देवी, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।
9. श्रीमती डॉ० अनिता बैरवा, जिला परिषद सदस्य, अजमेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर

पर्यालय ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पंचायत समिति श्रीनगर, जिला- अजमेर (राज.)

सं. / हाथीखेड़ा / 2018 / 216

दिनांक..... 06/09/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्राम सभा बैठक दिनांक 06/09/2018 के प्रस्ताव संख्या 3 के निर्णय अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम बौराज से चामुष्ठा तक सी.सी. सड़क निर्माण हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में FRA सर्टिफिकेट जारी किये जाने बाबत ग्राम बौराज ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित करि भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता/उभाकित नहीं होता है। अतः इस सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

प्रतिष्ठा
सरपंच

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

निर्माण हेतु वन
जने हेतु।
2018/

25
2018/09/18

गायोलय ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पंचायत समिति श्रीनगर, जिला- अजमेर (राज.)

प.स.सं./ 2018/ 215

दिनांक 06/09/18

प्रस्ताव प्रति

ग्राम सभा बैठक दिनांक 06/09/18 प्रस्ताव संख्या-3

वन अधिकार समिति बोरान की बैठक दिनांक 05/09/18 में प्रस्ताव संख्या-02 पर विषय गये। विषय अनुसार ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया की ग्राम बोरान से चामुण्डा तक सीसी. लड़क निर्माण हेतु वन डोंग में लड़क निर्माण हेतु अनापत्ती प्रदान करने हेतु चर्चा की गई। चर्चा अनुसार उपरोक्त भूमि पर अनुसूचित जाती, जनजाती व अन्य परम्परागत वन निवासी का धर्मित आषवा लुभुदाय निवास नहीं करता है। अतः एवं ग्राम सभा द्वारा अनापत्ती प्रदान करने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

प्रतिया
सरपंच

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा
पं. स. श्रीनगर (अजमेर)


1 अधिकार समिति ग्राम बोरज ग्रामपंचायत हाथीखेडा
पं०स० श्रीनगर (अजमेर)

क्रमांक / 2018 / 1

दिनांक : 5/9/2018.

आज बँक दिनांक 5.9.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रस्ताव संख्या 02 के तहत प्रस्तावित कार्य ग्राम बोरज से चामुड़ा तक सीसी सड़क निर्माण हेतु वन क्षेत्र की भूमि के सम्बंध में ग्राम बोरज ग्राम पंचायत हाथीखेडा में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, नियम 2008 तथा संबंधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी वन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत उल्लेखित आवश्यकता नहीं रखता/परिभाषित नहीं होता है।

अतः इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाती है।



अध्यक्ष

वन अधिकार समिति

ग्राम-बोरज

ग्राम पंचायत हाथीखेडा

बैंक कामवादी

वन अधिकार समिति ग्राम बोरान काजीपुरा ग्राम पंचायत

स्थान :- हवाई चौक बोरान समय :- दोपहर 2 PM

आज दिनांक 05/09/18 को ग्राम बोरान, ग्राम पंचायत

पंचायत समिति अजमेर तहसील पिला अजमेर में गांव में हवाई

चौक पर दिनांक 15/08/18 के प्रस्ताव लेख्या 1 द्वारा

गठित ग्राम बोरान काजीपुरा की वन अधिकार समिति

की बैंक कामवादी में समझा अहमद श्री जयसिंह

जी रावल की अहमदता में आमोदित की गई।

प्रस्ताव लेख्या 1 :- सर्वप्रथम वन अधिकार समिति के गठन

की आवश्यकता के बारे में ग्राम वासियों

को अवगत कराया गया। एवं इसकी महत्वता के बारे में

बातचीत की गई। गठित वन अधिकार समिति के निम्न सदस्यों

में ग्राम वासियों को परिचित कराया गया।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मोबा नं०
1.	जय सिंह जी रावल	अध्यक्ष	9251058196
2.	मोहन सिंह रावल	उपाध्यक्ष	
3.	गोविन्द सिंह	सचिव	9799105138
4.	सुरेश्वर शर्मा	सदस्य	
5.	मान सिंह	सदस्य	9929424920
6.	शुभान सिंह	सदस्य	9928364977
7.	मान सिंह	सदस्य	
8.	शुभाब सिंह	सदस्य	9913039518
9.	नारु सिंह	सदस्य	9828675033
10.	राज सिंह	सदस्य	
11.	शैलान सिंह	सदस्य	

हस्ताक्षर
सरपंच

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा रोड गठित समिति का सचिव श्री जयसिंह जी रावल द्वारा

पंचायत समिति अजमेर तहसील पिला अजमेर में आमोदित किया गया।

प्रस्ताव लेख्या 2 :- गठित समिति एवं उपरिपत्र सदस्यों

में ग्राम वासियों को अवगत कराया कि हमारे गांव

के वन क्षेत्र में कैंडि अनुसूचित जाती, एवं जनजाती
ना बुमबुद्ध परिवार का परम्परागत वन निवासी
निवास नहीं करते हैं। प्रस्ताव स्वसम्मती के लिए
विशेष विचार। ग्राम बोरान डानीपुरा ग्राम पंचायत हाथरिवाड़ा
में प्रस्तावित कार्य ग्राम बोरान में वापुडा करतक सी.जी.
रनड निमिनि देव वन भूमी के सम्बन्ध में अनापत्ती
प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव समिति द्वारा स्वसम्मती
के पारित विचार जाता है।

समिति

जयप्रकाश
अध्यक्ष

मोहम्मद

84181244 (992903/636)

मानसिंह

मोहम्मद

गुलाबसिंह

9413039518

उदयशंकर

शमसुद्दीन

नामदेव

मोहम्मद

रेखा राव

शैतान

काजीपुरा + सलमा बानो

काजीपुरा + शैतान

इमूलता बानो

काजीपुरा

सुमित्रा राव
काजीपुरा

(9828626738)

सुरेश

9660767494

संजिता राठौड़

वैशाली IV

प्रीति राठौड़

चामुंडा

सुभा काजीपुरा I

कमंडली काजीपुरा IV

मीनाक्षी ~~काजीपुरा~~ बीबाज IV

बांदा

अंधिका कांठानी

कार्यकर्ता - उजम

वैशाली II

कार्यकर्ता = रेखाशर्मा

अध्यायिका: लीली

अशा. शह = सुमित्रा शर्मा

हस्ताक्षर

सरपंच

ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा

पं. स. श्रीनगर (अजमेर)

ग्राम सभा दिनांक 06/09/19

आज दिनांक 06/09/19 को कार्यालय विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी पं. ल. अग्रवाल के पड़ कुमौक 115 दिनांक 24/08/19 की पालना में ग्राम पंचायत हाथीखेड़ा के अटल सेना केन्द्र पर अखिल भारतीय महिला मालिमा मार की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें निम्न प्रकार अधिकारी, कर्मचारी, जन प्रतिनिधी एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए।

क्र.सं.	नाम कर्मचारी/जन प्रतिनिधि	पद	हस्ताक्षर
1	श्रीमती मणिषा मार	सचिव	मणिषा मार
2	अमिल कुमार अग्रवाल	ग्राम विकास अधिकारी	अमिल कुमार अग्रवाल
3	रमेश कुमार शर्मा	P.R.S	
4	सदानंद कुमार	ग्राम संसाधन	Sadanand
5	मोहन सिंह खत्री	मोहन सिंह खत्री	मोहन सिंह
6	अमित कुमार शर्मा	ग्राम संसाधन	अमित कुमार शर्मा
7	मुकुंद कुमार शर्मा	ग्राम संसाधन	मुकुंद कुमार शर्मा
8	कमल केशव	ग्राम संसाधन	Kamal
9	शिवाजी खारवाल	ग्राम संसाधन	Shivaji Khawwal
10	ग्राम विकास अधिकारी	परवारी कोष	
-	जयसिंह शर्मा	अध्यक्ष	जयसिंह शर्मा
	सचिव	उपस्थित	पं. ल. अग्रवाल
	गुलाब सिंह	सचिव	गुलाब सिंह
	हनुमान सिंह (गोविंद सिंह)		हनुमान सिंह
	सुरेश कुमार		सुरेश कुमार
	नारायण शर्मा		नारायण शर्मा
	शैलजा		
	गुमान सिंह		गुमान सिंह

१६/०९/१८

मान सिंह

संजु मालवीय
लक्ष्मी रावत

लक्ष्मी रावत
संजु मालवीय
महेश

Sujes
लक्ष्मी रावत

Bhagat Singh

कुरुमा

राजेश सिंह L-S

राजेश

~~गुणगोप~~

मान सिंह
कोवि 36
जयल
रुपा

सोहन सिंह

Ajay Singh

रजु सिंह

अपार

Bhupat

दिनांक 6/09/18

आशा

पिंकू

सुनिता

सुरजा

गीता

किरण

विमला

अनिता

रश्मी

शिवराजसिंह

आरती

समीता

वीरान

वायवती

हमलता शर्मा

माया (राजता)

अश्विनी (मिनाली)

चामुण्डा कालोनी - श्रीमि राठी

काजीपुत्रा - अदशागिनी - सलमा बानी

सुमित्रा रावत
कार्यकर्ता काजीपुरा I

कज्जु चवी
साहित्यिका काजीपुरा V

सुंठा
सहायिका काजीपुरा I

सदा कंठर
आशा सह्य काजीपुरा IV

गीताशामि
काजीपुरा IV

अंजना रावत
हाथीखंड
ज्योत्सना परिवार (आशा) लीला

विमल शिवलक्ष्मीशामि

कल्पना रावत
आशा सह्य
हाथीखंड III

बिना पेंवार AMM
सेवागवर्धिका बीरजाम
मल्लिकार्जुन

आं.बा. रेखाशामि
कार्यकर्ता कोराव II

श्रीगवान

अंजिका कौशिकी
उजम

सुरेश्वर

ग्राम सभा कार्यवाही विवरण

दिनांक 06/09/18

आज दिनांक 06/09/18 को कायलिय विकान अधिकारी सह कायलिय अधिकारी पं. ल. शींगार के पत्र क्रमांक 1153 दिनांक 05/09/18 की पालना में ग्राम पंचायत हाथरवेश की ग्राम सभा का विवरण ग्राम सभा में गणपूर्वी उपखण्ड संरपदा श्रीमती प्रतिभा भार के निर्देशानुसार ग्राम वासियों के बताये अनुसार निम्न प्रकार प्रस्ताव अंकन किए गये।

प्रस्ताव नंबर 1:- समझा ग्रामवासियों के ग्राम सभा की गत बैठक कार्यवाही विवरण पढ़कर सुनाया गया। गत ग्राम सभा में लिखे गये निर्णयों एवं प्रस्तावों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर ग्राम सभा में सवा एवं विचार विमर्श किया गया एवं सर्व सम्मती से गत बैठक कार्यवाही का अनुमोदन एवं पूर्ण की गई।

प्रस्ताव नंबर 2:- समझा कोरम (ग्रामसभा) ग्राम पंचायत (नरीप राजकीय कामिका) के कार्यों एवं व्यवहारों की समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में कायलिय राजकीय कामिका अपने-अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर रहे हैं एवं सम्मती से यह माना गया।

प्रस्ताव नंबर 3:- वन अधिकार समिति बोरान की बैठक दिनांक 05/09/18 के प्रस्ताव नंबर 02 पर लिखे गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत हाथरवेश की ग्राम सभा में प्रस्ताव रखा गया की ग्राम बोरान से सामुदायिक लकड़ी लाने की निर्माण हेतु वन क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु अनापत्ती प्रदान करने के हेतु याचनी की गई। उपरोक्त भूमि पर अनुसूचित जाती व जनजाती व अन्य पराम्परागत वन निवासी का व्यक्ति अथवा समुदाय निवास नहीं करता है। अतएव ग्राम सभा द्वारा अनापत्ती प्रदान करने का प्रस्ताव सर्व सम्मती से स्वीकार किया गया।

प्रतिभा
संरपदा